शिक्षा का अधिकार
समग्र शिक्षा
सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा

कार्यालय जिला परियोजना, समग्र शिक्षा, बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

E-mail Id – dmcssa-bbazar.cg@gov.in

क्र./एस.एस./स्था./के.जी.बी.व्ही./विज्ञापन/2021/431 बलौदाबाजार–भाटापारा, दिनांक 25/11/2021

विज्ञापन

राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छ.ग. रायपुर के पत्र क्र./850/एस.एस./के.जी.बी.व्ही./2021–22 रायपुर दिनांक 24.08.2021 के द्वारा जिले के 04 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों (बलौदाबाजार, भाटापारा, बिलाईगढ़ एवं कसडोल) का उन्नयन (हायर सेकेण्डरी स्कूल) में किया गया है। इन उन्नयित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में महिला प्राचार्य के 04 पद व महिला व्याख्याता के 20 पदो की स्वीकृति दी गई है। राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार इन विद्यालयों में नियमित पदो की पूर्ति होने तक अथवा शिक्षा सत्र 2021–22 इनमें से जो भी पहले हो तक पूर्णतः अस्थायी रूप से महिला प्राचार्य/महिला व्याख्याताओं की नियुक्ति हेतु योग्यताधारी आवेदको से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे। दिनांक 29.11.2021 से दिनांक 10.12.2021 तक (सायं 05:00 बजे) कार्यालय जिला परियोजना समग्र शिक्षा बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में आवेदन कर सकते है। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जावेगा।

पूर्णतः अस्थायी महिला प्राचार्य/महिला व्याख्याता पदों की विषयवार आरक्षण विवरण निम्नानुसार है।

क्र	पदनाम	अनारक्षित वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कुल पद
1	प्राचार्य	01	01	01	01	04
2	व्याख्याता हिन्दी	01	01	01	01	04
3	व्याख्याता अंग्रेजी	01	01	01	01	04
4	व्याख्याता गणित	01	01	01	01	04
5	व्याख्याता जीव विज्ञान	01	01	01	01	04
6	व्याख्याता भूगोल/अर्थशास्त्र	01	01	01	01	04
कुल योग		06	06	06	06	24

शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता, न्यूनतम आयु सीमा व मासिक मानदेय :–

1. पूर्णतः अस्थायी महिला प्राचार्य पद हेतु किसी भी विषय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में पृथक–पृथक 50 प्रतिशत अंको के साथ बी.एड. प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की 01 नवम्बर 2021 को अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित है। इस पद हेतु सेवानिवृत्त महिला प्राचार्य को प्राथमिकता दी जावेगी। सेवानिवृत्त महिला प्राचार्य को जिला मेडिकल बोर्ड से स्वस्थ्य (फिटनेस) होने का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। इस पद हेतु मासिक मानदेय राशि 35000/– निर्धारित है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नही होगा।
2. पूर्णतः अस्थायी महिला व्याख्याता पद हेतु स्नातक एवं संबंधित विषय में स्नातकोत्तर दोनों स्तर पर पृथक–पृथक 50 प्रतिशत अंको के साथ बी.एड. प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की 01 नवम्बर 2021 को न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होना अनिवार्य है। उच्चतम आयु सीमा शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार होगा। इस पद हेतु मासिक मानदेय राशि 25000/– निर्धारित है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नही होगा।

नियम एवं शर्ते :–

1. पूर्णतः अस्थायी महिला प्राचार्य/महिला व्याख्याता पदों पर मानदेय पर की जा रही भर्तीयां पूर्णतः अस्थायी है। इन पदो पर नियुक्त व्यक्तियों द्वारा शासन के पद पर नियमितिकरण अथवा संविलियन का दावा नही

किया जा सकेगा। शासन के द्वारा उक्त पदो पर नियमित नियुक्ति किये जाने पर मानदेय पर भरे गये पूर्णतः अस्थायी महिला प्राचार्य/महिला व्याख्याता तत्काल पृथक हो जायेंगे।

2. पूर्णतः अस्थायी महिला प्राचार्य एवं पूर्णतः अस्थायी महिला व्याख्याता के पद पर छत्तीसगढ़ के निवासी केवल महिला अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे।
3. आवेदन निर्धारित प्रारूप में A-4 साईज पेपर में किया जावें तथा वर्तमान के पासपोर्ट साईज में कलर फोटो चस्पा कर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा बलौदाबाजार–भाटापारा डाक में विलम्ब के लिये जिम्मेदार नही रहेगा।
4. अपूर्ण आवेदन/निर्धारित प्रारूप में गलत जानकारी को अस्वीकृत माना जायेगा। इसके लिये अभ्यर्थी को पृथक से सूचना नही दी जावेगी।
5. आवेदक को लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में आवेदित पद का नाम उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
6. आवेदन पत्र **कार्यालय जिला परियोजना समग्र शिक्षा बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)** के नाम से स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित किया जावे।
7. आवेदन में आवेदक द्वारा व्हाट्सप मोबाईल नम्बर अंकित किया जावे। जिससे आवेदक को समय–समय पर सूचना दिया सकेगा।
8. निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप छानबीन उपरांत पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची दावा आपत्ति हेतु जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) के सूचना पटल पर उपलब्ध कराया जायेगा।
9. विज्ञापित पदो की संख्या परिवर्तनीय अथवा विशेष दशा में निरस्त किया जा सकता है।
10. विज्ञापन तिथि के पूर्व अर्जित की गई शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता ही मान्य किये जायेंगे।
11. मानदेय पर नियुक्त पूर्णतः अस्थायी महिला प्राचार्य/ पूर्णतः अस्थायी महिला व्याख्याता की नियुक्ति शिक्षा सत्र 2021–22 के लिये की जावेगी। कार्य व्यवहार संस्था के हित में नही होने, कार्य संतोषप्रद नही पाये जाने पर अभ्यर्थी को किसी भी समय पदच्युत किया जा सकेगा।
12. हड़ताल एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने पर अनुशासनहीन मानी जावेगी एवं उन्हे तत्काल पदच्युत किया जा सकेगा।
13. नियुक्ति उपरांत निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नही किये जाने पर प्रावीण्य सूची के अगले क्रम के अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति दी जावेगी।
14. आवेदक को अपने मूल दस्तावेंज का सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेंज सत्यापन के समय सभी प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सत्यापनकर्ता को फाईल के साथ प्रस्तुत करना होगा। विवाह पश्चात उपनाम में परिवर्तन होने पर तत्संबंधी प्रमाण फाईल में अनिवार्य संलग्न करना होगा। सत्यापन नही कराये जाने पर आवेदक स्वमेव अपात्र माना जावेगा।
15. आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।
16. किसी भी प्रकार के आपत्ति विवाद का निराकरण कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष के अधीन होगा।

<u>चयन प्रक्रिया :–</u>

पूर्णतः अस्थायी महिला प्राचार्य एवं पूर्णतः अस्थायी महिला व्याख्याता पद पर अभ्यर्थी के चयन प्रक्रिया :–

(अ) स्नातक के प्राप्तांको का 25 प्रतिशत

(ब) स्नातकोत्तर के प्राप्तांको का 75 प्रतिशत।

उक्त दोनो स्तर के प्राप्तांको के योग की प्रावीण्य सूची के आधार पर चयन की जावेगी।

(कलेक्टर एवं मिशन संचालक/अध्यक्ष चयन समिति द्वारा अनुमोदित)

जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा,
बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

महिला प्राचार्य/व्याख्याता पद पर पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति हेतु आवदेन पत्र

वर्तमान के पासपोर्ट साईज कलर फोटो चिपकाने उपरांत स्व प्रमाणित करे

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा,
बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

1. आवेदित पद व्याख्याता हो तो विषय :–..................
2. आवेदक का नाम :–..................
3. पिता/पति का नाम :–..................
4. जन्म तिथि अंकों में :–.......... वर्ष ....माह.......... दिन
5. आयु दिनांक 01.11.2021 की स्थिति में :–.......... वर्ष ....माह.......... दिन
6. लिंग (महिला) :– ....
7. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है :– हां ☐ नही ☐
8. केवल महिला व्याख्याता पद हेतु
   रोजगार कार्यालय का नाम :– ....
   जीवित पंजीयन क्र.व दिनांक :– ....
9. शैक्षणिक/व्यवसायिक योग्यता का विवरण, जो कि अनिवार्य अर्हता में चाही गयी है :–

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	10वीं						
2	12वीं						
3	स्नातक						
4	स्नातकोत्तर						
5	बी.एड.						

10. महिला प्राचार्य पद हेतु आवेदन की स्थिति में कार्यानुभव–

क्र	कार्यालय का नाम व पूर्ण पता	पद नाम	कार्यावधि	रिमार्क

11. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (ई.मेल आईडी व व्हाटसअप मोबाईल नं. सहित) ....
....
....
12. स्थायी पता (ई.मेल आईडी व व्हाटसअप मोबाईल नं. सहित)..................
....
....
13. संलग्न प्रमाण पत्रो की सूची (स्व प्रमाणित छायाप्रति)–
(A) दसवीं अंकसूची, (B) बारहवी अंकसूची, (C) स्नातक अंकसूची, (D) स्नातकोत्तर अंकसूची, (E) बी.एड. अंकसूची, (F) रोजगार पंजीयन, (G) कार्यानुभव का संस्था /विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र, (H) निवास प्रमाण पत्र, (I) जाति प्रमाण पत्र, (J) सेवानिवृत्त महिला प्राचार्य होने पर जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी फिटनेस प्रमाण पत्र, (K)..........

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मै प्रमाणित करती हूं कि आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है तथा इसमें दी गई जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक ....
स्थान ....

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम –
व्हाट्सअप मोबाईल नं.–